न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

223RTA2020-00147Ju2020-064 Jagdish Vs Omaram etc

जगदीश पुत्र फगलुराम जाति विश्नोई
निवासी विनायकपुरा भवाद,
तहसील बावडी, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. ओमाराम पुत्र पदमाराम जाति बेलदार
2. जेठी पुत्री पदमाराम जाति बेलदार
3. साउ पुत्री पदमाराम जाति बेलदार
4. पपुडी पुत्री पदमाराम जाति बेलदार
5. लादूराम पुत्र लिखमाराम जाति बेलदार
   निवासीगण ग्राम गंगाणी
   तहसील बावडी, जिला जोधपुर
6. विरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत
   निवासी कोहरा, तहसील टोडाभीम
   जिला करोली
7. त्रिलोचनसिंह पुत्र खजानसिंह जाति सिख
   निवासी शास्त्रीनगर, नई दिल्ली
8. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, बावडी,
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी दिनांक 10 दिसम्बर 2019 सहायक कलेक्टर बावडी, राजस्व वाद संख्या 118/2006 दयालराम व अन्य बनाम पदमाराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 8

नि र्ण य

दिनांक : 28 जुलाई, 2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने सहायक कलेक्टर, बावडी द्वारा राजस्व वाद संख्या 118/2006 दयालराम व अन्य बनाम पदमाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 10 दिसम्बर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 02 जुलाई 2020 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। एक अन्य आवेदन प्रस्तुत कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 2 से 4 व एक अन्य दयालराम ने एक राजस्व वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर ग्राम गंगाणी के खसरा संख्या 385 रकबा 431 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा संख्या 386 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि का 1/5 हिस्सा अपने दादा अर्जुन पुत्र मेहराम की पुश्तैनी खातेदारी का होना जाहिर किया और अर्जुन के देहान्त के बाद उक्त आराजी में उसके पुत्रों पदमाराम, लिखमाराम तथा पूनाराम प्रत्येक का 1/12-1/12 हिस्सा होना और तदनुसार पदमाराम के खातेदारी में उक्त आराजियात का 1/12 हिस्सा होना बताया। साथ ही पदमाराम के उक्त हिस्से में पदमाराम एवं उसके 5 पुत्र-पुत्रियों दयालराम, ओमाराम, जेठी, साउ तथा पप्पुडी प्रत्येक का 1/6-1/16 हिस्सा पुश्तैनी भूमि होने के आधार पर जाहिर किया और अपने पिता प्रतिवादी संख्या एक पदमाराम से उसके अशिक्षित एवं काफी लम्बे समय से बीमार होने के कारण सोचने-समझने की शक्ति क्षीण हो जाने का अनुचित फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या दो लादूराम पुत्र लिखमाराम ने बहला-फुसला कर एक कूटरचित बेचाननामा समस्त भूमि के 1/12 हिस्सा (जो कि प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या एक के नाम दर्ज था) बाबत प्रतिवादी संख्या तीन वीरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह के पक्ष में दिनांक 20 अगस्त 2006 को निष्पादित करवा लिया, जबकि उक्त 1/12 हिस्सा पैतृक होने के कारण प्रतिवादी संख्या एक के पुत्र-पुत्रियों अर्थात वादीगण का भी उसमें हक-हकूक बनता है और अकेले प्रतिवादी संख्या एक सम्पूर्ण 1/12 हिस्सा बेचान करने हेतु सक्षम नहीं था। ऐसा बेचान प्रारम्भ से ही शून्यप्रभावी होने से वादीगण के अधिकारों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। इसी प्रकार वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रतिवादी-पक्ष की सहमति से स्वीकार करते हुए दिनांक 29 अक्तूबर 2012 को प्रतिवादी संख्या दो लादूराम का नाम भी प्रकरण से तर्क कर दिया गया। दिनांक 31 दिसम्बर 2012 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी-पक्ष द्वारा जबाब पेश करने का अवसर बन्द किया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु मुकर्रर किया गया। वाद बहस हेतु विचाराधीन रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या एक पदमाराम का देहान्त हो गया और उसके वारिसान बतौर वादीगण पहले से ही प्रकरण में पक्षकार होने से दिनांक 06 दिसम्बर 2019 की आदेशिका अनुसार उक्त प्रतिवादी संख्या एक पदमाराम का नाम प्रकरण से तर्क किया गया और पक्षकारान की बहस सुनी गयी। इसके बाद दिनांक 10 दिसम्बर 2019 को जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी उक्त दावा स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के 1/12 हिस्से बाबत प्रतिवादी संख्या एक पदमाराम के स्थान पर वादीगण प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा घोषित किया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील-मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट ने वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी-रेस्पो. विरेन्द्रसिंह से विधिवत पंजीबद्ध विकय विलेख के जरिये कय की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या एक पदमाराम ने मिलीभगत कर अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना ही दावा पेश किया, मिलीभगत होने के कारण ही प्रतिवादी संख्या एक पदमाराम की ओर से कोई जबाबदावा पेश नहीं किया गया, इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 विरेन्द्रसिंह के पक्ष में पदमसिंह द्वारा विकय विलेख दिनांक 11 मई 2005 निष्पादित किया गया था, अतः उसकी ओर से भी कोई जबाबदावा पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होना सिद्ध हो सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तनकियात कायम किये, बिना किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत हुए ही वादीगण-रेस्पो. का दावा स्वीकार कर लिया। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने के तथ्य को साबित करने योग्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध विकय विलेख के संबंध में गलत व्याख्या करते हुए वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं होने के कारण बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अपनी बहस में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी का सद्भावी केता होने के कारण इस प्रकरण में हितबद्ध एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार है जिसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नहीं बनाया गया। इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी तथा अधीनस्थ न्यायालय में वाद की कार्यवाही बाबत अपीलाण्ट को समुचित समय में जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 02 जुलाई 2020 को अपीलाण्ट अपनी अन्य खातेदारी की भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड की नकल लेने हेतु हळका पटवारी के पास गया, तो पटवारी द्वारा उक्त निर्णय एवं डिकी के संबंध में जानकारी दी, तब अधीनस्थ न्यायालय से प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया और दिनांक 02 जुलाई 2020 को नकलें प्राप्त होने पर विधिवत अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी के संबंध में अपीलाण्ट को जानकारी हुई। अतः जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत हाजा के समक्ष पेश कर दी गयी। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने धारा 96 सीपीसी के तहत अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने तथा अपील अपीलाण्ट मियादशुमार कर गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपील स्तर पर अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 02 अगस्त 2010 की छायाप्रति भी प्रस्तुत की।

जबाब में अधिवक्तागण-रेस्पो. ने जाहिर किया कि प्रतिवादी-पक्ष की ओर से कोई जबाबदावा पेश नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में इस प्रकरण में कोई तनकियात कायम नहीं की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-1 से प्रदर्श-4 कमशः वादग्रस्त आराजी से संबंधित जमाबंदी संवत 2060-2063, नक्शा की फोटो प्रति, पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 11 मई 2006 एवं वादग्रस्त आराजी से संबंधित पट्टा-विलेख पेश कर अपने वाद को भलीभांति साबित किया है। समुचित अवसर के उपरान्त भी प्रतिवादी-पक्ष द्वारा जबाबदावा पेश नहीं करने पर प्रतिवादी-पक्ष के जबाब का अवसर बंद किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इसी प्रकार प्रतिवादी-पक्ष को साक्ष्य का भी अवसर प्रदान किया गया और जिरह के लिए भी विरासत में प्राप्त पैतृक सम्पत्ति अकेले पदमाराम बेचान करने हेतु सक्षम नहीं था। प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य बेचान के आधार पर केता विरेन्द्रसिंह को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है और इस कारण उसके द्वारा आगे अन्य किसी के पक्ष में किया गया बेचान भी प्रभावशून्य होने से अपीलाण्ट को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण-रेस्पो. का दावा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट अधिकार-विहीन, मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदुनसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

जहॉ तक अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का प्रश्न है, दिनांक 11 मई 2006 को पदमाराम द्वारा रेस्पो. विरेन्द्रसिंह के पक्ष में पंजीबद्ध विकय विलेख तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 02 अगस्त 2010 (जिसके द्वारा विरेन्द्रसिंह द्वारा रघुराज सिंह पुत्र ईश्वरसिंह और विरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह द्वारा आम-मुख्तयार रामस्वरूप पोटलिया पुत्र भंवरराम पोटलिया के जरिये वादग्रस्त आराजी का बेचान किया गया है) की छायाप्रतियों का अवलोकन करने तथा प्रकरण के तथ्यों एवं दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों तथा तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सद्भावी केता होकर इस प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित आवश्यक पक्षकार पाया जाता है। अतः अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया, इस कारण अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में वाद की कार्यवाही तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत समुचित समय में जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। इसके अलावा प्रकरण का सिंहावलोकन करने पर गुणावगुण के आधार पर अपील अपीलाण्ट सारवान पायी जाती हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अदालत हाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम एवं उसके संलग्न प्रस्तुत शपथपत्र में वर्णित बिन्दुओं एवं इस संबंध में अधिवक्तागण-अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस पर विश्वास करते हुए अपील-अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रतिवादी पदमाराम द्वारा प्रतिवादी-रेस्पो. विरेन्द्रसिंह के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 11 मई 2006 एवं विरेन्द्रसिंह आदि द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 02 अगस्त 2010 को आदिनांक तक सक्षम सिविल न्यायालय के निरस्त कराया जाना अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में "... प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना 1/12वॉ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 को बेचान किये जाने की बात कही गयी है एवं यह बेचान बहला फुसला कर करवाये जाने की बात कही गयी है। चूंकि प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये, लेकिन इनकी ओर से जबाबदावा, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गये है। बेचान के आधार पर कब्जा लेने के तथ्यों को प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार से साबित नहीं किया गया है, बेचान विलेख में अंकित शर्तो की पालना का अभाव रहा है.... " अंकित करते हुए उक्त विकय विलेख को गलत मानते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये है, जबकि विकय विलेख में अंकित शर्तो की पालना नहीं होने और बेचान पदमाराम को बहला फुसला कर करवाये जाने के तथ्यों की **सत्यता की विधिसम्मतः ढंग से साक्ष्य सबूत के आधार पर करते हुए प्रमाणित विकय विलेख की वैधता के संबंध में विनिश्चयन करने का क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को ही उपलब्ध है।** वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने में प्रतिवादी पदमाराम कानूनन सक्षम था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत पट्टा विलेख के आधार पर वादीगण के दादा अर्जुन का वादग्रस्त आराजी में 1/12वां हिस्सा मानने में भी भूल की गयी है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की **पत्रावली में पेज 41 पर उपलब्ध उक्त पट्टा विलेख में वादग्रस्त आराजी बाबत किसी भी सहखातेदार का कोई हिस्सा अंकित नहीं किया गया है।** अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान के हिस्सों के संबंध में भी कोई तर्कसंगत आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में समुचित साक्ष्य सबूत के आधार पर पक्षकारान के हक-हिस्सों बाबत कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अदालत हाजा की राय में पुष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होने के कारण कायम रखे जाने योग्य नहीं पाये जाते है। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजियात से संबंधित पट्टा-विलेख एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादग्रस्त आराजियात में सहखातेदारान के हिस्से अंकित नहीं है, इसलिए पट्टे में उल्लेखित सहखातेदारान के हिस्से साक्ष्य से ही सिद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होकर विनिश्चित होंगे, अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है और प्रस्तुत अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर अपील याचित अनुतोष के अनुरूप स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, बावडी द्वारा राजस्व वाद संख्या 118/2006 दयालराम व अन्य बनाम पदमाराम इत्यादि में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 10 दिसम्बर 2019 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट सहित सभी पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर स्पष्टतः हक-हिस्सों का निर्धारण करने के पश्चात् न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया 28/7/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर